16.03.2018	**राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** पीठासीन अधिकारी :– श्री जे0एन0मथुरिया(आर0ए0एस0) आर.सी.एम.एस 2017/00111 अपील संख्या 46/2017 (225 आर.टी.ए) उनवानः– लीला बनाम राजा राम	
	वकुलाय फरीकेन उप.। बहस उभय पक्ष सुनी गई वकील अपीलार्थी की बहस है कि प्रकरण रकवा कमी पेशी का है। यदि प्रत्यर्थी इस दौरान विवादित आराजी को रहन वय मुन्तकिल करते है तो अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी। वकील प्रत्यर्थी नें प्रकट किया की वह विवादित आराजी का रिकोर्डेड खातेदार है। यदि बाद में वह अधिक हिस्से पर काबिज पाया जाता है तो निर्णय उपरान्त उसे छोड देगा लेकिन अस्थाई स्थगन के माध्यम से उसे पाबंद नहीं किया जा सकता। बहस उभयपक्ष एवं दस्तावेजात से प्रकट होता है की पक्षकारान के बीच भूप्रबंध संक्रिया के दौरान रकवा कमी बेशी हुई है। अतः अपीलाधीन एकतरफा में पारित किया गया है। पक्षकारान के अधिकार मूलवाद में तय होगें तब तक विवादित आराजी पर रेकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखना उचित प्रतीत होता है अतः आदेश है की मूलवाद के निस्तारण तक विवादित आराजी ख0न0 410/1.99 है0 वाके ग्राम सारंगपुर तह0 नगर में 0.25 है0 की सीमा तक रेकोर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे एवं प्रत्यर्थी इस हिस्से को रहनबय से विरत रहे। आदेश सुनाया गया। पत्रा0 फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। एवं बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

Web Copy - Not Official